Waqf (Amendment) Bill, 2024

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Waqf Act, 1995.

माननीय अध्यक्ष **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री के. सी. वेणुगोपाल जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने नोटिस दिया है, को एक-दो मिनट बोलने की इजाज़त दे रहा हूँ । आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप दो-दो मिनट बोलेंगे, तो जो विषय है, उस पर आप रूल 72 के तहत ही बोलेंगे न, आप नियम-कानून के तहत ही बोलेंगे न?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, आप बोलिए ।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection to the draconian law which is being introduced by the Government. Fundamentally, this is an attack on the Constitution. Basically, when we are talking about the Constitution, this Bill is a fundamental attack on the Constitution.

As per the provision regarding composition of the Central Waqf Council, basically, wherefrom the Waqf property is coming? That is coming from the donations of the believers, those who believe in the God. They are giving the Waqf donations.

Now, Article 26 is very clear ? Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. The Article also provides: to manage its own affairs in matters of religion; to own and acquire movable and immovable property; and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution.

Hon. Speaker, Sir, through this Bill, they are putting a proviso that non-Muslims will also be a member of the Governing Council. Sir, through you, I would like to ask a question to the Government. The Supreme Court constituted the Board for Ayodhya Temple. Can anybody think that a non-Hindu be a part of Ayodhya Mandir? For Guruvayur Temple, there was some Board. Can anybody believe that that Temple Board has a non-Hindu member? Sir, the provision that non-Muslims can also be a part of the Waqf Council is directly an attack on the faith and freedom of religion. We were showing the Constitution. Are you protecting the Constitution? This is a fundamental attack on the Constitution. This Bill is a fundamental attack on the Constitution. Now, you are going for Muslims. Then, next, you will go for Christians, Jains, Parsis, etc. ? (*Interruptions*)

There is a fundamental principle. What is the tradition of India? What is the culture of India? Rajnath ji, we believe in the culture and tradition of India, that is, Bharat, which is to respect each other?s faith. I told you one thing. We are Hindus. We are believers. But at the same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. This Bill is specialised for Maharashtra and Haryana elections. But you do not understand that. Last time, the people of India totally listened to you. But now -- this type of divisive politics -- Indian people will not buy it. Now, again, you are trying to experiment with it.

Hon. Speaker, Sir, this is an attack on the federal system also. This is a clear attack on the federal system also. The nitty-gritty regarding Waqf properties including, rules, data collection, and everything, actually has to be dealt with by the States. This Bill is taking away the rights with regard to data collection from the States and now the rights are coming to the Centre. That is an attack on the freedom of religion and federal system as well.

Hon. Speaker, Sir, there is a concept called ?Waqf by Use?. Sir, there is a big mosque near the Parliament. It is more than 200 years old mosque. Nobody knows about the actual property detail of that mosque. You are removing the clause ? Waqf by Use? through this amendment. That means there is going to be a dispute

with regard to each and every mosque, where there is no deed. What will happen then? Your fundamental idea is to create conflicts and anger among the communities. Your fundamental idea is also to create violence everywhere. If you want a bring a prospective Bill on this clause, then give us a justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centres which have no deed.

My point is that there should be a motive and an intention of well-being in every legislation. That is what we are witnessing. That should come from the heart. The duty of the ruler is to make the legislation which comes from the heart. Now, your ill-motive is to divide the people of this country. That is why, you are bringing this Bill. Therefore, we are totally objecting to the Bill. This Bill cannot be passed. This Bill cannot be introduced.

श्री मोहिब्बुल्लाह **(**रामपुर**) :** बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम ।

जनाबे सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं वाहिद आदमी हूँ इस सदन में, जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा, सरकार के द्वारा बनायी गई और मैं उसमें पेश हुआ, 123 प्रॉपर्टी में । जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बतायी गई, चूँकि वह आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी । 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के मुताबिक रिपोर्ट नहीं आयी तो आपने टू मैन कमेटी बनायी और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी । जबकि वक्फ एक्ट, 1995 जो है, वह पार्लियामेंट से पासशुदा है कि पार्लियामेंट का जो ऐहतराम है, उसका नहीं कर रहे हैं, उसके हुकूक का ।

सर, इसी तरह से सुबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया । हिन्दू अमेंडमेंट में, जो कर्नाटक और तमिलनाडु में है, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं हो सकता और आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है ।? (व्यवधान) चार धाम में वाजे तौर पर यह लिखा हुआ है कि सिर्फ हिन्दू होगा । बिहार, ओडिशा में भी यही लिखा हुआ है । पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा और यह उनका अधिकार है, जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है?? (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए ।

सर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ । दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्का में है । क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहाँ पर भी हमारा कोई हिन्दू भाई हो । हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं । वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है । इससे उनको महरूम संविधान के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती ।

सर, यह हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हम अभी नहीं, सदियों तक भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने संविधान की पामाली कर रहे हैं । इस सिलसिले में, मैंने इसे पूरा ध्यान से पढ़ा है और पूरी 40 तरामीम, जो उसमें गलत हैं, उनको मैं लिखकर लेकर लाया

हूँ ।

सर, इसके जरिये से सरकारी अमले का बाजाप्ता तौर पर, यह हक कलेक्टर को दिया जा रहा है । सर्वे कमिश्नर के इख्तियारान खत्म किए जा रहे हैं । आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है । सर, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसमें मेरे मजहब के मुताल्लिक चीजें है, तो उन्हें कैसे कोई दूसरा तय करेगा? कुरान में क्या लिखा है, फिरका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, यह आप तय करेंगे या मैं तय करूँगा ।? (व्यवधान) इससे आप मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं । इंटरफेयरेंस ऑफ दी रिलीजन कर रहे हैं ।? (व्यवधान) इस तरह के कवानीन से मुल्क की साख को नुकसान पहुँचेगा । संविधान की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे ।? (व्यवधान) अगर यह होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनोरिटी अपने आपको हिन्दुस्तान में सेफ नहीं समझेगी ।? (व्यवधान) पिछले दिनों सिखों के साथ भी यह हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकियात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं । 10 साल से मुल्क में जो माइनोरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन की फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह काँप जाती है ।? (व्यवधान) ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि जनता इन हुकूक के लिए, संविधान को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाए ।? (व्यवधान)

[جناب محب اللہ (رامپور): ، بسم اللہ الرحمن الرحیم , جنابِ صدر میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں، میں واحد آدمی ہوں اس ایوان میں، جس میں ون مین کمیٹی آپ کے ذریعہ، سرکار کے ذریعہ بنائی گئی اور میں اس میں پیش ہوا، 123 پروپرٹی میں ۔ جسٹس آرین نے جو رپورٹ پیش کی، آج تک وقف بورڈ کو نہیں بتائی گئی، چونکہ وہ آپ کی منشا کے خلاف تھی اور گورنمنٹ کی منشا کے مطابق نہیں تھی۔ 123 پروپرٹی میں جب منشا کے مطابق رپورٹ نہیں آئی تو آپ نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی رپورٹ وقف کو نہیں دی۔ جبکہ وقف ایکٹ 1995 جو ہے، وہ پارلیمینٹ سے پاس شدہ ہے کہ پارلیمینٹ کا جو احترام ہے، اس کا نہیں کر رہے ہیں، اس کے حقوق کا۔

جناب، اسی طرح سے صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا۔ ہندو امینڈمینٹ میں جو کرناٹک اور تمل ناڈو میں ہے، وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا یہ آرٹیکل 6 کا وائلیشن ہے ۔(مداخلت)۔ چار دھام میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف ہندو ہوگا۔ بہار اور اوڈیشہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں گرودوارہ پربندھک کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور یہ ان کا ادھیکار ہے، جس کا مانا گیا ہے، لیکن مسلم کے ساتھ یہ نا انصافی کیوں؟)مداخلت) میری بات سن لیجیئے۔

سر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہےکیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اُٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو۔ ہم اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے ملک کی شان کو اپنے آئین کو خود اپنے پیرو تلے روند رہے ہیں۔ وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس سے انکو محروم آئین کے ذریعہ سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔

سر، یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، جس کا خامیاضہ ہم ابھی نہیں صدیوں توک بھُگت تے رہیں گے، کیوکہ ہم خود اپنے آئین کی پامالی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں، میں نے اس کو پورا دھیان سے پڑھا ہے اور پوری 40 ترامیم جو اس میں غلط ہیں، ان کو میں لکھکر لیکر آیا ہوں۔

سر اس کے ذریعہ سے سرکاری عملے کا باضابطہ طور پر یہ حق کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے۔ سروے کمشنر کے اختیارات ختم کئے جا رہے ہیں۔ آخر سروے کمشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے۔ سر ہم ایسا کیسے کر سکتےہیں؟ اس میں میرے مذہب کے متعلق چیزیں ہیں، تو انہیں کیسے کوئی دوسرا طے کرےگا؟ قرآن میں کیا لکھا ہے، اسلام میں کیا لکھا ہے، یہ آپ طے کریں گے یا میں طے کروں گا ۔(مداخلت)اس سے آپ مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ انٹر فیرینس آف ریلیجن کر

رہے ہیں (مداخلت) اس طرح کے قوانین سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ آئین کی اسپرٹ ہم ختم کر دیں گے۔ (مداخلت) اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت، کوئی بھی مائینوریٹی اپنے آپ کو ہندوستان میں سیف نہیں سمجھے گی۔ (مداخلت)۔ پچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کچھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو اسہائے محسوس کر رہے ہیں۔ دس سال سے ملک میں جو مائینوریٹیز کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ، ان کے ریلیجن کی فریڈم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے روح کانپ جاتی ہے۔ (مداخلت) ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتا ان حقوق کے لئے آئین کو بچانے کے لئے دوبارہ سڑکوں پر آجائے ــ **]**

श्री अखिलेश यादव **(कन्नौज) :** महोदय, ये अपने कट्टर समर्थकों के लिए यह बिल लेकर आए हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** रूल 72 के तहत यह विषय है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I will be brief. My Constituency is in the city of Kolkata. It has huge number of Muslims and full of Waqf properties. I am a little aware. I will speak on only few points. It is violative of Article 14 which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution which talks about the Right to Freedom of Religion. It is opposing that right. It is against federalism as land is stated in Seventh Schedule of the Constitution as a State subject. In Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb versus the State of Bombay, 1962, the Supreme Court ruled that the States should not interfere in the matters of religion. This Bill is divisive. The Bill is anti-constitutional. The Bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of this Bill.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir. It is a very sad day in Parliament today. This year when we came back to the Parliament, many of the hon. Members took their oath with the Constitution in hand. It was done to protect the Constitution; it was done to imply that the Constitution is supreme and it has to be protected.

But today, we see that this Government is blatantly going against the Constitution. This Bill is not just against the Constitution. It is against federalism; it is against religious minorities; it is against human beings. It shuns justice in every possible way.

This Bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which say that we have a right to follow a religion and manage our own religious affairs. This Bill allows

non-Muslims to be a part of Waqf Board. Many hon. Members have raised a question here. Will it be possible for a Muslim or a Christian or a Sikh or Parsi to be a part of a board which manages a Hindu temple? Will you allow that? No. Then, why should somebody, who does not believe in a particular religion, have the right to make decisions on behalf of that particular religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice?

It is a direct violation of Article 30 of the Constitution which deals with the minorities to administer their own institutions. By bringing others into the Waqf Board, now you are giving the right to somebody to decide whether a property belongs to the Government or the Waqf Board. The District Collector and a committee above the Waqf Board will now be deciding to whom the land or the property belongs.

We know that already many old mosques are in danger today. Suddenly, there is a PIL and people and archaeologists are sent there. Then they discover that there was a temple before that mosque. After that, there is hate, division and issues among the people of the country ? (*Interruptions*) It is happening. ? (*Interruptions*) it is happening. ? (*Interruptions*)

This Bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group. It violates Article 14 of the Constitution, which talks about equality before law. It is obviating Section 40 of the existing Bill which deals with the powers of the Waqf Board to decide whether a property is the property of the Waqf Board or not.

So, this Bill is completely against the Muslims and the minorities. We do believe that it is a secular country. It is made of people who have different kinds of beliefs, different languages, different ethnicities and different religions. This Bill will destroy the dreams of our forefathers. I oppose this Bill. Thank you.

पंचायती राज मंत्री**;** तथा मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्री **(**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह**):** अध्यक्ष महोदय, मैंने कई माननीय सदस्यों की बात सुनी ।? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Is he opposing the introduction?

SHRI RAJIV RANJAN SINGH *ALIAS* LALAN SINGH: JDU is a Party here, whether it is opposing or supporting anything. ? (*Interruptions*) I have to record my view. ? (*Interruptions*) You will not conduct the House. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह **:** अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है, जैसे वक्फ़ बोर्ड के कानून में यह जो संशोधन लाया गया है, यह मुसलमान विरोधी है।? (व्यवधान) कहां से यह मुसलमान विरोधी है?? (व्यवधान) इसका कौन-सा प्रावधान मुसलमान विरोधी है?? (व्यवधान) यहां अयोध्या के मन्दिर, गुरुवायुर के मन्दिर का उदाहरण दिया जा रहा है ।? (व्यवधान) अगर आपको मन्दिर और संस्था में अन्तर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप कौन-सा तर्क खोज रहे हैं?? (व्यवधान) यह मन्दिर नहीं है ।? (व्यवधान) आपके मस्ज़िद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है ।? (व्यवधान) यह कानून से बनी हुई एक संस्था है ।? (व्यवधान) उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है ।? (व्यवधान) इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए ।? (व्यवधान) वक्फ़ बोर्ड कैसे बना?? (व्यवधान) वक्फ़ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बनी हुई कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगी, तो उसमें पारदर्शिता लाने का हक़ सरकार को है ।? (व्यवधान) सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।? (व्यवधान) ये इसकी तुलना मन्दिर से कर रहे हैं ।? (व्यवधान) इसका मन्दिर से कहां मतलब है?? (व्यवधान) धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है ।? (व्यवधान) ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं ।? (व्यवधान)

महोदय, के. सी. वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं ।? (व्यवधान) इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था, किसने उनकी हत्या की थी?? (व्यवधान) आपने की थी, आपकी पाटी ने किया था, हम उसके गवाह हैं ।? (व्यवधान) हम उसके गवाह हैं ।? (व्यवधान) हजारों सिख समुदायों को, कौन-से सिख समुदाय थे, जो टैक्सी ड्राइवर था, क्या उसने इन्दिरा गांधी की हत्या की थी?? (व्यवधान) सड़कों पर घूम-घूम कर सिखों की हत्या कर रहे थे और अल्पसंख्यकों की दुहाई दे रहे हैं ।? (व्यवधान) वाह रे वाह! ? (व्यवधान) इसलिए इस बिल को आना चाहिए ।? (व्यवधान) संस्था में पारदर्शिता आनी चाहिए ।? (व्यवधान) कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है ।? (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of NCP. We are vehemently requesting the Government to withdraw this Bill completely. That is our request to this Government because no detailed consultations have been done with the people who, actually, are running this organisation today. So, I request, with full humility, to this Government to either withdraw it or if they do not want to withdraw it, at least, send it to a Standing Committee. I request the Government to make a committee after having an all-party meeting. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point.? (*Interruptions*)

The sad part is this that we did not find about this Bill from the Parliament. We found out about this Bill from the Media. Is this the new way of this Government?s working? कि पहले मीडिया को बताएंगे और फिर पार्लियामेंट में लाएंगे?? (व्यवधान) क्या आप पहले मीडिया को बताएंगे?? (व्यवधान) What is this new work that you have started. You are insulting the parliamentary system and our democracy which we are also proud of. ? (*Interruptions*) The Parliament has been undermined here. We have no problems if you are leaking things to Media but do not do it selectively. This is the temple of

democracy. We take our job very seriously. So, please inform the Parliament first before leaking it selectively to the Media. This is my request.

माननीय अध्यक्ष **:** संसद में तो इस बिल को सर्कुलेट किया गया है न!

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** हाँ सर, यह बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था ।? (व्यवधान)

मैं बस क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि यह बिल मीडिया के पास कैसे पहुंचा ।? (व्यवधान) यह बिल नियमत: लोक सभा सेक्रेटेरिएट में अपलोड होने के बाद, मेरे पत्र जाने के बाद अपलोड हुआ । फिर इसकी कॉपी सर्कुलेट हुई ।? (व्यवधान) उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद यह आया ।? (व्यवधान) इसमें लीक का कोई सवाल नहीं है ।? (व्यवधान)

कल बीएसी में भी इस पर चर्चा हो चुकी है ? (व्यवधान) कल बीएसी में सभी पार्टीज़ के सदस्य बैठ कर इस पर चर्चा कर चुके हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, यह बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं तारीख सहित अभी एक मिनट में आपको बताता हूँ । सर्कुलेट करने के बाद बिज़नस एडवाइज़री कमेटी में इस बिल के विषय में समय का आवंटन हुआ है । बिज़नस एडवाइज़री कमिटी में आप सभी दलों के नेता थे ।

श्रीमती सुप्रिया सुले ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, the only concern is, this should not be a pattern because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That is the only limited point I am raising here.

Sir, in Section 3C, the issue related to Collector, which Kanimozhi has also raised, is very, very worrying. A Collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that.

Now, the next issue relates to the deletion of Section 40. It clearly needs to be told whether Waqf is there or not. You have deleted Section 40. I do not know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting Section 40? This is my question to you. The Waqf Tribunal is completely weakened. The Tribunal has no power. If anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the Tribunal? ? (*Interruptions*)

Then, there is Section 108B which says that the rules will be made by the Central Government. If it is so, then what will be the role of the States? हर चीज़ में कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म तो यह सरकार भूल ही गई है । Yesterday, during the discussion on GST, we faced the same issue. The hon. Finance Minister gave us a very detailed reply which I appreciate. But she asked us to not bring issues here and go back to the States. Then, why are we elected here? Why do we have a Parliament if we have to go back to the States for everything?? (*Interruptions*) राज्यों की बात कोई सुने तब तो कोई बात हो न । That is the other problem. They ask us to write to the States. Then, why are we writing to the Ministers here? It has no value. How can you undermine the Central Government? This is supreme. ? (*Interruptions*) I agree with you, but if my Minister does not come in the GST Council, what can I do? ? (*Interruptions*) What can I do if we are not heard? ? (*Interruptions*) How will it happen, Sir? ? (*Interruptions*) So, my request is that in Section 108B, the States need to have their powers. Please do not take their powers away. ? (*Interruptions*)

There should be equality before law. ? (*Interruptions*) This country is about unity in diversity. ? (*Interruptions*) Look at what is happening in Bangladesh. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about what is going on there. So, my point is that minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So, I think, it is our moral duty to ensure this. I request the Government to clarify what the intent of the Government is. वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या हुआ है कि अभी आपको यह बिल लाना है?

Sir, we object to this. Please withdraw this Bill. Let us have a more detailed discussion. There are Committees which are being formed. Let us have a discussion, and only then, bring in a Bill, which is fair and just in this country. In this Constitution, every citizen matters and counts. That is what is given to every citizen rightfully. Thank you.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, एक बार फिर चेक कर लें कि इस बिल को छह तारीख को सर्कुलेट कर दिया गया था । आप अपने पोर्टल पर चैक कर लें, क्योंकि आप संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए में इस विषय को क्लियर कर रहा हूँ ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** सर, हम आपको मीडिया एविडेंस दे देंगे । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपने कहा कि यह बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** मीडिया में क्या-क्या बातें आती हैं, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है । हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल छह तारीख को सर्कुलेट हुआ है ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, it was not circulated on 6th. ? (*Interruptions*)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you very much, Sir, I vehemently oppose the very presentation of this Bill. As correctly pointed out by my learned friends, it is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the Fundamental Rights enshrined in our Constitution under Articles 14, 15, 25, 26 and 30.

Sir, this Bill is ill-motivated. You have got dirty agenda with you. ....*(Interruptions)* If this Bill is passed, the entire Waqf system will collapse. That is going to happen. Similarly, various bodies like the Waqf Board, the Waqf Councils, will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the Government and handed over to the District Collectors.

Sir, this Bill will spoil the secular nature of this country. Muslims cannot donate to the Hindu system, and they cannot donate to Waqf system. That is the restriction. This is what is happening in this country. You have forbidden that kind of a thing. At the same time, this will jeopardise the entire system of the Waqf Board and the Waqf Councils, if you pass that Bill.

Sir, what is going to happen? They will have no power. All the powers are going to be vested with the Collector. As per this Act, the Collector will be superior to the Chairman of the Waqf Board. That is the system the Government wants to bring in.

Sir, once this Bill is passed, the evacuation of the encroached properties will become impossible. That is the first thing that is going to happen. This Bill says that once the Government encroaches a land, and the Government building is situated in the Waqf Board?s land, even after verifying it, it cannot be evacuated. In fact, you are encouraging encroachment on the Waqf land. That is another thing.

Sir, we can very well understand the Government?s intention to weaken the powers of the Waqf administration. The Chairman and the members of the Waqf Board will have no power. In the parent Act related to the Waqf Board, there was a clause. What was that? The Members of the Waqf Board hail from various constituencies. There was a stipulation that they should be Muslims. But here, you

are saying that there should be two non-Muslim Members. Even the name of a Muslim is not mentioned in this. It means that you want to encroach the entire system according to your liking. That is what is happening.

Sir, the Government is trying to do injustice to us. I was a Member of the 15th Lok Sabha. A JPC was constituted under the Chairmanship of Shri K. Rahman Khan. He made a wonderful report. It was very clear. There were a lot of good things in that. You are repealing all those things. After a lot of study, the Rahman Khan Committee recommended many things, and certain amendments were made accordingly. Now, you are repealing all those things. Instead of simplifying the system, you are harshly killing the system. Through this legislation, you are ruthlessly killing the Waqf system.

I urge that wisdom will prevail upon them. You must think about that. Do not poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country and destroy the communal harmony. ....*(Interruptions)* What is going on? You are putting both the Hindus and the Muslims in a watertight compartment. You may have that desire. But we will not allow this country to go in that direction. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I strongly oppose the Waqf (Amendment) Bill on behalf of the Communist Party of India (Marxist).

Sir, this Bill is against our motto ?Unity in Diversity?. This Bill has breached our Constitutional right to practise religion. This Bill has violated Articles 25, 26, 27, 28 and 30 of the Constitution. As per the Bill, the Waqf Board will become a nominated body. The only intention of this Bill is to demolish the waqf.

Before bringing this Bill, no consultation has been done by the Government with any State or with any Muslim or other organisations. So, we demand that the Government should withdraw this Bill. If our request is not acceded to, then I would request the Government to send this Bill to the Standing Committee for wider consultations. Thank you.

माननीय अध्यक्ष **:** श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आप नोटिस और नियम के तहत ही बोलते हैं ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir. My notice is there.

माननीय अध्यक्ष **:** आप रूल्स के तहत ही बोलते हैं ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir.

Sir, first of all, I would like to express our sincere thanks to the hon. Speaker. When a Bill is opposed on the ground that it is outside the legislative competence of this House, the Speaker has the authority to grant a full-fledged discussion. This is the first time, during my past experience, that you have allowed such a discussion under Rule 72(1) second *proviso*, and we are thankful to you for this.

Sir, I vehemently, very strongly oppose this Waqf (Amendment) Bill, 2024 under Rule 72(1) second *proviso* of the Rules of Procedure. I am suggesting four reasons for this. First, the provisions of the Bill violate Fundamental Rights envisaged in Articles 25 to 28 of the Constitution. Second, it violates Article 13(2) of the Constitution. Third, the Bill is against the basic feature of secularism enshrined in our Constitution. That cannot be altered because it is a basic feature of the Constitution. So, it cannot be altered or changed. The last one is that the objects and reasons narrated in the Statement of Objects and Reasons are not sufficient to bring a new legislation. These are the grounds on which I am opposing the introduction of this Bill.

Sir, the sole intention of the Waqf is the better administration of the Waqf Board properties. Waqf is a permanent dedication by any person of any moveable or immoveable property for any purpose recognised by the Muslim law. It is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity which comes within the purview of Article 26 of the Constitution. This Government is intruding into the religious freedom of a particular community, and that too Muslim. The Government is particularly targeting the Muslim community. That is the real case.

Sir, if you go through the legislation - it is very interesting - you will find that they are disempowering the Waqf Board as well as the Council, and it is being declared by the Collector or the Government whether a property is a Waqf property or not. They are removing Section 104. Then, removing Section 40 means that there is no need for the Waqf Board. The Waqf Board becomes totally powerless. It means that they are dismantling the system. It is a total dismantle of the system. So, it is absolutely against the principles of the Constitution, and it lacks *bona fide* also.

Further, I would like to quote from Part III, Article 13 of the Constitution which talks of laws inconsistent with or in derogation of the Fundamental Rights. Article 13(2) reads:

?The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.?

Sir, I would like to say that the Government can get this Bill passed as they have got an absolute majority in the House, but I caution this House, and I caution the Government that if this Bill goes for a judicial scrutiny, definitely, it will be struck down on the Constitutional grounds as it is outside the legislative competence of this House. I am very sure about it. That is why we are strongly opposing it. As rightly said by Shri K. C. Venugopal, the reason behind this is the upcoming Assembly elections in the State of Maharashtra in particular, and in other States. ? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): What is he saying? ? (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Piyush Goyal ji, I am saying, the Statement of Objects and Reasons is lacking bona fides.

A very important thing is this. A person, who has been practicing for the last five years as Muslim, can only donate the property but the non-Muslims can participate in the administration. This is a total contradiction. It is totally against the principle of equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the Government to withdraw the Bill. If you want to insist on this Bill, kindly send it to some Committee for a close scrutiny of the Bill and let us discuss it with the stakeholders. Then only it will be taken into consideration. So, I strongly oppose the introduction of the Bill. Thank you very much, Sir.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon Speaker Sir, Vanakkam. At the stage of introduction, I strongly oppose this Bill. This Bill is introduced with an intention to spoil the unity of our country and affect the harmony existing among our people.

The effort to portray the Muslims who live with Indianness in them, as foreigners is indeed a matter of serious concern. Interfering in their freedom is totally unconstitutional. The Government is trying in a planned way to snatch away all the rights given to them as per Constitution.

We are aware of the fact that the Waqf Board has been functioning independently over a long period of time. Every religion has its own freedom. When the Constitution of India upholds secularism, this Government, if it takes the side of a religion, and interfere in the freedom of another religion, then it should be viewed as a dangerous situation.

This can spoil the unity and integrity of our people. Therefore, on behalf of Viduthalai Siruthaigal Katchi, I oppose this Amendment Bill at its introduction stage. I urge for withdrawal of this Bill or request to send this Bill for the consideration of a Consultative Committee. Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf (Amendment) Bill, 2024. I oppose the introduction of the Bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This Bill patently violates the principles provided in Articles 14, 15, and 25. It is both discriminatory and arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence and separation of powers.

One thing has to be understood that the waqf management of a property is an essential religious practice for Muslims. By denying legal recognition to waqf-alal-aulad under clause 4 and waqf by user under section 3(r)(1), the Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. In fact, the Hindu Endowment Boards ? I challenge ? are recognised even by usage and custom. Here, you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here is that a Hindu can give his complete property to his daughter or son through will. I, as a Muslim, cannot do it. I can give only one-third. I can gift but I cannot give it in the name of ?Allah Subhanahu wa Ta?ala?. Now, you are stopping me from praying. What you are doing is that you are restraining waqf-alal-aulad, which is discriminatory and violative of Article 25. There is no limit to will property or dispose it. To insist that a person has practiced Islam for five years? (*Interruptions*) माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे दो मिनट दीजिए, आपने सबको दिए हैं ।? (व्यवधान) अगर कल कोई बोलेगा कि मैं पांच साल से इस्लाम प्रक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा? If there is a new convert, does he have to wait for five years to give his property to waqf? Is it not a violation of right to freedom of religion?

Another point is that no such provision exists for the Hindu endowments or for the Sikh Gurudwara Prabhandhak Committees. The irony of the amendments is that

non-Muslims can become member of the CWC and SWB, but he cannot dedicate waqf.

As regards arbitrariness, the existing law protected the status of the registered waqf properties and it has been replaced. By empowering the Collector to determine the title, you are violating the principles of natural justice that one may not be a judge in their own cause.

Under Section 61 if the DM says to Mutawalli that make this masjid as a Government property, then, you know non-compliance is a punishable offence. This is against separation of powers, which is part of the basic structure. This Bill excludes the tribunals? decisions from being final. The Collector has been replaced by the tribunal. Who is going to sit in the tribunal? It is a retired Government judge and a retired Government employee. How can the nominee be a part of this composition? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में डिटेल में बोल देना ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** सर, मैं खत्म कर रहा हूं । In the R. Gandhi case of 2010, the Supreme Court had held that only the Secretary-level officers can be appointed as technical members in the tribunals. Section 83 states that a Joint Secretary has been added to the tribunal.

Waqf properties are not public properties. By removing Waqf by user, this Government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Take the example of Section 107 where it has been made more difficult to recover the encroached waqf properties. Further, Section 37 removes protection to waqf properties, and Section 40 is a prejudicial amendment. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इमरान मसूद जी ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी**:** सर, केवल आधा मिनट और दे दीजिए । सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं । मुझे यकीन है कि आप बिलकिस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो बिल आप ला रहे हैं, इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, न कि जोड़ने का । आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत यह बिल है । धन्यवाद।

श्री इमरान मसूद **(**सहारनपुर**)** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूं । हम लोग संविधान की कसम खाकर यहां आए हैं और संविधान की धज्जियां इस विधेयक से

उड़ाने का काम किया जा रहा है । आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना बताया गया है । मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है । अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मंदिर के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों के प्रबंधन करने का काम करता है । इसके तहत ही सारी की सारी मस्जिदें आती हैं । वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म करके डीएम राज लाकर उन तमाम प्रॉपर्टीज, जो पूरे देश के अंदर लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है, उनको खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश ये कर रहे हैं, उन साजिशों को आप बल देने का काम कर रहे हैं ।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धारा 9 के तहत सीडब्ल्यूसी संरचना में बदलाव किया गया है, उस संबंध में बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड में यह शर्त क्यों लगाई जा रही है? आप अगर शर्त लगा भी रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे हुए हैं, उनको मुक्त कराने का कानून लाते, ताकि वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाते । जिस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की, वह इस इस नीयत के साथ की ताकि आने वाली नस्लों में खुदा के अंदर फलाह के काम किये जा सकते हैं । उन फलाही कामों के लिए?

माननीय अध्यक्ष : ओके, श्री जी.एम. बालयोगी जी ।

? (व्यवधान)

श्री इमरान मसूद : सर, एक मिनट दे दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : एक सेकेंड भी नहीं । श्री जी.एम. हरीश बालयोगी ।

? (व्यवधान)

श्री इमरान मसूद : सर, मैं एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, ठीक है, आप कनक्लूड करें ।

? (व्यवधान)

श्री इमरान मसूद : सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं । इसमें धारा 40 को हटाने का काम किया गया । सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या-7812,7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख युसुफ भाई चावला व अन्य के तहत धारा 40 के प्रावधानों की अपने फैसले में 170 के अंदर स्पष्ट रूप से माना कि यह बहुत अच्छा कानून है । आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसे हटाना चाहते हैं । यह सीधे-सीधे कानून के खिलाफ है, फर्जी है । आप संविधान की धज्जियां उठाने का काम कर रहे हैं । हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं । आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हैं ।

मान्यवर, यह सीधे-सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है । मैं कहना चाहता हूं कि आप संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं । हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद । ? (व्यवधान)

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Sir, we appreciate the concern with which the Government has brought this Bill. The properties and lands for the

religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors needs to be protected. ? (*Interruptions*) I would request you to allow me to speak.

माननीय अध्यक्ष**:** आप बोलिए ।

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI : The purpose of the donors needs to be protected. But when the purpose and the power get misused, it becomes the responsibility of the Government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the Government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the Bill has been brought. We support it. We believe that the registration of the property as proposed in this Bill is going to help the poor Muslims and women in the country by bringing transparency.

However, if a wider consultation is required to remove misconception, avoid wrong information that is spreading and educate people on the purpose of this Bill, we have no problem in sending it to the Select Committee.

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय सदस्यगण, मेरे पास बहुत सारे नोटिस आए हैं । सभी सदस्य अपनी एक-एक मिनट में बात कह दीजिए ।

अखिलेश क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री अखिलेश यादव **(**कन्नौज**) :** माननीय अध्यक्ष, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय सदस्य एन.के.प्रेमचन्द्रन जी ने जो कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता है । यह जो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, यह बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत हो रहा है । जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की प्रक्रिया पहले से है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर-बिरादरी का नहीं आता है । वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है?

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, अगर आप जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, मैं उन इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी ने क्या किया था, जिसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए यह बिल लाने का काम कर रही है । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे-आपके अधिकार कट रहे हैं । याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं । ? * ? (व्यवधान) मैं इस बिल का विरोध करता हूं । ? (व्यवधान)

गृह मंत्री**;** तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**) :** अध्यक्ष महोदय, ये पीठ व आसन का अपमान कर रहे हैं ।

अखिलेश जी, अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं, पूरे सदन के हैं । इस तरह की गोल-मोल बात आप नहीं कर सकते हैं । ? (व्यवधान) आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक मिनट प्लीज ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव **:** अध्यक्ष महोदय, यह बिल इसलिए लाया जा रहा है, क्योंकि अभी-अभी ये हारे हैं । दरअसल ये चाहते हैं ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** ओके ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

? (व्यवधान) ?**

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए ।

मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कुछ नए सदस्य भी यहां हैं । कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आसन और संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव **:** अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि आपको ज्यादा अधिकार मिले ।

माननीय अध्यक्ष **:** यह मेरी इस सदन से अपेक्षा है । मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षा पर खरे उतरेंगे कि कभी सदन और विशेष रूप से आसन पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए ।

श्री अखिलेश यादव **:** अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपको और ज्यादा अधिकार मिलें ।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री कल्याण बनर्जी, आप वकील हैं ।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am opposed to the introduction of this legislation. ? (*Interruptions*) First of all, this is beyond the legislative competence of the Central Government to make the amendment in respect of land title which falls under the Seventh Schedule. Property is the subject which can be decided by the civil courts, and not by any other authority. I want to ask this question. Under which law has this power been given to the Central Government to decide the title of the property? How can it be done? Civil law will be taken away. ? (*Interruptions*) This Bill is completely contrary to the Constitutional morality. ? (*Interruptions*) This

Bill suffers from maliciousness. ? (*Interruptions*) It is a malicious legislation because this Bill is targeting the Muslims of this country. ? (*Interruptions*) This cannot be tolerated. ? (*Interruptions*) There are number of reasons ? (*Interruptions*)

Sir, give me just one minute, and not even one minute, give me just 15 seconds. ? (*Interruptions*) Sir, before the elections, there was an attempt in the country to make the country a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री मियां अल्ताफ अहमद जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, एक मिनट के लिए सभी बैठ जाइए ।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक के विषय में नियम 72 कहता है । प्लीज आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्लीज, एक मिनट के लिए बैठ जाइए । अभी आप मेरी पूरी बात सुनिए ।

श्री मियां अल्ताफ अहमद **(**अनन्तनाग-राजौरी**) :** महोदय, एक मिनट का समय दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप प्लीज बैठ जाइए । अगर लिस्ट में आपका नाम होगा, तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा ।

?नियम 72 कहता है कि यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए, तो अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के बाद प्रश्न को रखा जा सकेगा ।

परंतु जब इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता (लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी) से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।?

मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें । जब इस पर डिटेल में चर्चा होगी, तब निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलेगा ।

श्री मियां अल्ताफ अहमद जी ।

14.00 hrs

श्री मियां अल्ताफ अहमद **:** मैं आपका बहुत मशकूर हूं । जो बिल यहां पर लाया जा रहा है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इससे जो भी सेक्युलर लोग हैं, उनको खदशात है और खास तौर पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खदशात है । इस हाउस में कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो अपने सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, अपनी जम्हूरियत के लिए जाना जाता है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप भाषण मत दीजिए ।

श्री मियां अल्ताफ अहमद **:** सर, वह आजाद अदलिया के लिए जाना जाता है, आजाद मीडिया के लिए जाना जाता है ।

माननीय अध्यक्ष **:** आप भाषण मत दीजिए ।

श्री मियां अल्ताफ अहमद **:** आप इस तरह का बिल लाकर इस मुल्क की इमेज खराब कर रहे हैं । इससे मुसलमानों के खदसात बढ़ रहे हैं । मेहरबानी कीजिए और ऐसी चीजें मत कीजिए । इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए, तभी यह मुल्क तरक्की करेगा ।

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir. I rise to oppose the introduction of this Bill. There are a lot of concerns of the Muslim community. So, we want the Muslim community to be taken into consideration before this Bill goes any further. I fully agree with the concerns raised by Owaisi ji. I think, they need to be addressed. Thank you for this opportunity.

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Speaker, Vanakkam. On behalf of Communist Party of India, I strongly oppose this Bill. This Bill is unconstitutional. I humbly want to remind the Government that it is also their duty to ensure that the Bill which is being legislated should not be unconstitutional. Therefore, even after knowing this Bill is clearly invalid as per Constitution, they are introducing it. It is evident from their actions that they have lost the rightful status to guide the democratic and political set-up of the country. Not only that, they are targeting Muslims to make them victims. Muslim had sacrificed their valuable lives during the nation?s freedom struggle. It is highly condemnable to know that such Muslims are being targeted by those who never ever participated in the nation?s freedom struggle. I therefore oppose this Bill and want it referred to the Joint Parliamentary Committee.

Thank you,

डॉ**.** श्रीकांत एकनाथ शिंदे **(**कल्याण**) :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं यहां पर अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । ? (व्यवधान) यहा पर कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का

काम कर रहे हैं । जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का यहां पर विरोध कर रहे हैं । मुझे लगता है कि *? (Interruptions) ?* ** ..... on all of you. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, प्लीज ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** श्रीकांत एकनाथ शिंदे **:** अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ही कानून चलेगा । आपको अलग कानून क्यों चाहिए? इस बिल को लाने का मकसद एक ही है ? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी । मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर भ्रम फैलाने का काम ये अपोज़िशन पार्टीज़ कर रही हैं । यहां पर सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं । मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी, तब महाराष्ट्र के मंदिर चाहे उसमें शिरडी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर हो, तुलजापुर मंदिर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बैठाने का काम भी इन्होंने ही किया था । ? (व्यवधान) उस समय इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तब इनको फैडरलिज्म याद नहीं आया । जब यह देश एक कानून से चलेगा तो यहां पर अलग कानून की जरूरत क्यों है? यहां ज्यूडिशियरी और कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है । मैं यहां पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का काम सरकार ने किया है । मैं इनको वर्ष 1986 में लेकर जाना चाहूंगा । जब शाहबानो को इस सदन में न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलने का काम भी इन्होंने किया, इनकी गवर्नमेंट ने किया । यहां पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी दी जाएगी तो मुझे लगता है कि यह देश एक कानून पर चलता है । जब कश्मीर से 370 हटाया गया, तब भी इन्होंने विरोध किया था । जब तीन तलाक हटाया गया था, तब भी इन्होंने विरोध किया था । ? (व्यवधान) और आज फिर से, इस बिल का विरोध करने का काम कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं ।

महोदय, इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लेण्ड होल्डर है । पूरे देश में वक्फ की जमीन को लेकर 85 हजार से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं ।? (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस बिल से वक्फ में सुधार होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा । वहां स्कूल्स बनें, कॉलेज बनें और अस्पताल बनें, लेकिन यह सब इनको नहीं चाहिए? (व्यवधान) यह लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए यहां इस बिल का विरोध कर रहे हैं । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे इस बिल का समर्थन करें । मुस्लिम समाज को पीछे धकलने का काम आप लोग कर रहे हैं । मुस्लिम महिला, मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम समाज को सपोर्ट करने का काम करें ।

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** महोदय, यह बहुत नाजुक विषय है और सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है । मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले । संविधान के आर्टिकल 15, 25, 26, 29 और 30 का संज्ञान ले । यह कानून सीधे-सीधे धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है । इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । वक्फ को इस्लाम के लोग मानते हैं । जिनके दिल में करूणा है और जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, वे इस रास्ते को अपनाते हैं । इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए । यहां अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है । हर धर्म में यह प्रावधान है, चाहे हिन्दू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे इसाई हो, कि समाज में जो लोग कर्तव्यबद्ध हैं, वे लोग दान करना चाहते हैं तो इस दान की भावना को समझें । इस दान की भावना को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए । यह बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि जो संविधान को

बदलना चाहते हैं, जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, मैंने सभी दलों के प्रमुख लोगों को बोलने का पर्याप्त समय दिया है । सभी ने अपनी-अपनी बात यहां रखी है । अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दें ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए आपको नोटिस दिया और उसको एडमिट करके आपने उनको बोलने का मौका दिया ।? (व्यवधान)

महोदय, सबसे पहले तो उनका नोटिस क्यों स्टेंड नहीं करता है और जो भी उन्होंने यहां ऑबजैक्शंस रेज़ किए हैं, यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं । आज जितने भी इश्यूज़ यहां उठाए गए हैं, उन सभी का विस्तार से और एक-एक पॉइंट से जवाब देना चाहूंगा । मैं यह मानता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त की हैं या गलत तरीके से यहां बातें बतायी गयी हैं, मैं सभी आशंकाओं को दूर करूंगा। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेम्बर्स हैं, सब इस बिल का समर्थन जरूर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सबसे पहले यहां पर कॉम्पिटेंसी का मुद्दा उठाया है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि इस बिल में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो भी प्रावधान है, उसके तहत किसी भी रिलीजियस बॉडी को जो फ्रीडम है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देना चाहूंगा । ब्रह्मचारी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का यह केस है । इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर्ली रिलीजियस डेनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दी है । उस रूलिंग के तहत कहा गया है कि Waqf Board does not fall within the purview of Articles 25 and 26 of the Constitution of India.

दूसरा, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस्ड किया है, उसके तहत आप किसी के हक को छीनना तो छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं भी मिला है, उनको हक देने के लिए यह बिल लाया गया है । इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिनको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिनको दबाकर रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए यह बिल लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह संविधान की कनकरेंट लिस्ट एंट्री नम्बर 10 और 28 में है । ? (व्यवधान) इसीलिए इस बिल को पेश करने का पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने सबके पॉइंट्स को नोट किया है । हमने सबके कन्सर्न को भी नोट किया है । मैं बारी-बारी से जवाब देना चाहता हूँ । यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है । अंग्रेजों के जमाने से लेकर तथा उससे पहले के लंबे इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले यह एक्ट सन् 1954 में लाया गया । उसके बाद इसमें कई अमेंडमेंट हुए हैं । काफी अमेंडमेंट होने के बाद, चूँकि मैं पहले के इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज हम इस सदन में जो अमेंडमेंट

लाने जा रहे हैं, वह वक्फ एक्ट, 1995 का है, जिसको वर्ष 2013 में अमेंड किया गया था । वर्ष 2013 में इसमें अमेंडमेंट लाकर पूरे वक्फ का जो इंटेंशन और पर्पज था तथा लोगों को उससे उम्मीद थी कि जो अमेंडमेंट लाया गया है, उससे कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन उसको उल्टा करके वर्ष 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसकी वजह से आज हमें यह अमेंडमेंट इस सदन में लाना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसका कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से असेसमेंट किया । उसमें देखा गया कि वर्ष 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पज के लिए लाया गया, वह सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है । कई कमेटियों ने, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है । मैं उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि उसमें यह पाया गया है कि वर्ष 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पज के लिए यह एक्ट लाया गया था, वह पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा था । इसमें कई गलतियां पाई गई हैं । उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खासकर कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ कि यह अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रही है । एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया, आपने जो भी चाहा, वह आप नहीं कर पाए, लेकिन उसी चीज को करने के लिए हमने आज यह अमेंडमेंट प्रपोज किया है ।

जब मैं इसका विवरण दूंगा, मैं आपके सामने बात रखूंगा तो उससे आप बिल्कुल सहमत होंगे। दूसरी बात यह है कि हम सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं । मैं अपना तर्क रखने से पहले बताना चाहता हूं कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए । आपको करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी । अगर आप विरोध करेंगे, चंद लोग पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं । आम मुसलमान लोगों को न्याय, इंसाफ नहीं मिला, उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है । इतिहास में यह दर्ज होगा कि इस बिल का किसने समर्थन किया है और किसने विरोध किया है । इतिहास में नाम दर्ज होगा ।? (व्यवधान) इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप करोड़ों गरीब महिलाओं, बच्चों और गरीब मुसलमानों के बारे में सोचिएगा ।? (व्यवधान)

सर, मैं सबसे पहले खामियों के बारे में बताना चाहता हूं । मैं सिर्फ 1995 अमेंडमेंट ऐक्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं । हम से पहले कांग्रेस के जमाने में भी इस मुद्दे को लेकर कई कमेटियां और अलग-अलग जगहों पर इसके बारे में विवरण दिया गया है । सर, सबसे पहले वर्ष 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई और इसमें जो बड़ा रिकमेंडेशन आया, उसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । वर्ष 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सारा वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के कब्जे में चला गया है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए । 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट की दूसरी रेकमेंडेशन है कि लिटिगेशंस और आपस में मतभेद इतने ज्यादा हैं, उनको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम का गठन होना चाहिए । ये उस समय की रिकमेंडेशंस थीं । उसमें तीसरा पॉइंट ऑडिट एंड एकाउंट्स के बारे में कहा गया है । वक्फ बोर्ड में ऑडिट और एकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए । यह उस समय की रिपोर्ट में कहा गया है । आखिरी में, it recommended for the reforms in the category of Waqf-alal-aulad. बच्चों के लिए हम जो वक्फ देते हैं, उसमें सुधार लाना चाहिए, यह वर्ष 1976 की रिपोर्ट में कहा गया है ।

सर, आज मैं विस्तार में दो कमेटियों के बारे में बताना चाहता हूं । ये दो कमेटियां कांग्रेस के समय में ही बनाई गई थीं । सबसे पहले, हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजिन्द्र सच्चर, यह वर्ष 9 मार्च, 2005 में गठित की गई थी । उस समय यूपीए की सरकार आ चुकी थी । यह स्पेसिफिक मुसलमानों के वेलफेयर के लिए गठित की गई

। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह हम सभी को मालूम है । मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन के बारे में बताना चाहता हूं । सच्चर कमेटी की पहले रेकमेंडेशन में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज से सिर्फ 163 करोड़ रुपए ही वार्षिक आमदनी जेनरेट होती है । यह किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है । इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट के तरीके से, जिस तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज होना चाहिए, उस समय सच्चर कमेटी ने कहा है, प्रॉपर्टीज से पर एनम 12 हजार करोड़ रुपए मिलता, लेकिन उस समय 162 करोड़ रुपए जेनरेट हो रहा था । इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट है । हम ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते स्टडी की है । टोटल 8 लाख 72 हजार 320 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा जो वामसी (WAMSI) पोर्टल है, उससे पूरा डिटमिन नहीं किया जा सकता है । लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू, सच्चर कमेटी ने जो कहा है, उससे कहीं गुना अधिक होने की संभावना है । यह एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है । सब को मालूम है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितनी आमदनी है?

दूसरा, सच्चर कमेटी की रिकमंडेशन है, यूपीए के समय में ही आपने उस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया । उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है, उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए । जो लोग मैम्बर होते हैं, जो लोग इस वक्फ बोर्ड में हैं, वे काफी नहीं हैं । इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए । सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का यह पहले नंबर का पॉइंट है ।

सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में दो महिलाएं होनी चाहिए । यह भी सच्चर कमेटी की रिकमंडेशन है । सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो सेक्रेटरी होते हैं, वह जॉइंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के स्तर का ऑफिसर होना चाहिए । उसमें जो अंडर सेक्रेटरी, जूनियर लेवल का ऑफिसर बनाया है, उसके रैंक को जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक उठाना चाहिए । यह उसी कमेटी की रिपोर्ट में आया है । स्टेट में जो वक्फ बोर्ड है, उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए । सच्चर कमेटी ने सीधा-सीधा यह कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दी जानी चाहिए । मैं आज जो बिल आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सेंट-परसेंट यहां आपके सामने ला रहा हूं । आपको तो खुश होना चाहिए । यह कमेटी आपने बनाई है । ? (व्यवधान) सर, हमने शांति से इनकी बात सुनी है । ये सीनियर मैम्बर हैं, इस तरह से बीच-बीच में उठकर बोलना ठीक बात नहीं है ।? (व्यवधान) आपको तो नियम मालूम है ।? (व्यवधान)

सर, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कॉन्स्टीट्यूट की गई थी, जिसकी अध्यक्षता के. रहमान खान जी, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर रहे, माइनोरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी मंत्री रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन, राज्य सभा में रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में पूरी पार्टी के सदस्य, हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी मैम्बर थे, उस जेपीसी में सीधा-सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है । वहां मैनपावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पीटेंट है और फंड इतना कम है कि सही तरह से मैनेज नहीं किया गया है । इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है ।

दूसरा, मुतवल्ली के बारे में कहा है । लगता है कि सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतवल्ली बनाना है और उसको कैसे हटाना है, इसी में केन्द्रित है । इसलिए इस प्रावधान को हटाना चाहिए । फिर कहा गया है कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, उनको प्रॉपर मेनटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए । देश भर में मौजूदा जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं, उनका फिर से सर्वे होना चाहिए । गरीब मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड के अंदर सही चीजें, चाहे वह लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसके एक्सपर्ट्स लॉयर्स वगैरह लोगों को बोर्ड में लाने की जरूरत है, ताकि वह ज्यादा दुस्त-दुरूस्त हो सके । जॉइंट

पार्लियामेंट्री कमेटी का एक और सजेशन है । टोटल वक्फ बोर्ड का कम्प्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकार्ड में होना चाहिए । वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमंड किया, आप सब को भी मैं उस कमेटी की रिपोर्ट दे देता हूं, ताकि आप भी फिर से पढ़ें ।

सर, वक्फ एक्ट, 1995 को फिर से मजबूती से री-लुक करना चाहिए, यह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ही रिपोर्ट है । उनको तो आपने ही अपॉइंट किया । देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेम्बर्स के नाम बता देता हूँ, मैंने चेयरमैन का नाम तो बता दिया, वे आपके एक वरिष्ठ नेता थे, उन्हें आपने ही अपॉइंट किया था । ये सारे रिक्मेंडेशंस थे । आज आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए, जो आप नहीं कर पाए, उसे हम सदन में ला रहे हैं । सारे के सारे प्रॉब्लम्स और सारे के सारे सजेशंस, उस समय सबको मालूम कर चुके हैं । इसलिए सर? (व्यवधान) ये सब मन ही मन में कंविन्स हैं ।? (व्यवधान) ये राजनीतिक दबाव में अपोज़ कर रहे हैं । अन्दर ही अन्दर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, यह मुझे मालूम है ।? (व्यवधान) राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमति देकर गये हैं कि हम जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं ।? (व्यवधान)

सर, इस बीच जो कुछ इंडिविजुअल केसेज और कंसल्टेशन हुए, आज हम जो बिल लाये हैं, उसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था । मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ, जितने कंसल्टेशन प्रॉसेज पिछले 10 सालों में किये गये हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन प्रॉसेस नहीं किये हैं ।? (व्यवधान) मैं आपको अभी बताऊँगा । आप शांति से सुनिए ।? (व्यवधान) आप सिर्फ शांति से सुनिए ।? (व्यवधान)

सर, मैं फिर से कहता हूँ, जो संविधान का हवाला देकर बिल के परपस को, मंशा को गलत धारणा देकर मिसलीड करना चाहते हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ । अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वह कुछ ऐसा काम करता है, जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है, तो इसमें गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, तो वह गैर-संवैधानिक कैसे हो गया? आप यह बताइए । अगर आप तर्क रखते हैं, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा । अगर ऐसे केसेज में, मैं अभी बताने वाला हूँ, बहुत सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठने वाले लोग आपस में तालमेल करके ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या तो उसे पेंडिंग रख देता है या दूसरे तरीके से फैसला देता है । आप किसी भी अदालत में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं ।

सर, लोकतंत्र में, भारत जैसे महान देश में, क्या ऐसी व्यवस्था इतने सालों तक चलनी चाहिए? ? (व्यवधान) वे गुमराह कर रहे हैं ।? (व्यवधान) इन्होंने ऐसा तरीका बनाया ।? (व्यवधान) इन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि ट्राइब्यूनल? (व्यवधान) इस तरह से आप लोग बात करके मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं ।? (व्यवधान) आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी ।? (व्यवधान) ऐसा तरीका बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट रिव्यू नहीं हो सकता है ।? (व्यवधान) कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं, उनके बारे में मैं अभी बताऊँगा ।? (व्यवधान)

सर, इन्होंने संविधान का हवाला दिया ।? (व्यवधान) इन्होंने बार-बार संविधान का हवाला दिया ।? (व्यवधान) हमारे देश के अन्दर कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकता है ।? (व्यवधान) संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकता है ।? (व्यवधान) लेकिन आप लोग इसके प्रावधान देखिए । वक्फ एक्ट, 1995 में ऐसा प्रावधान है, जिसका बाकी कानून के ऊपर ओवर-राइडिंग इफेक्ट था । क्या ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए? ? (व्यवधान)

सर, मैं इवैकुइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ । जब हमारे देश का विभाजन हुआ, यहाँ से जितने मुसलमान पाकिस्तान गए, उनकी भी प्रॉपर्टीज थीं । पाकिस्तान से जितने हिन्दू भारत में आए, उनकी काफी प्रॉपर्टीज भी वहाँ थीं । पाकिस्तान में हिन्दुओं की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थीं, उन्हें तो सरकार ने ले लिया और जो भी करना था कर लिया । लेकिन यहाँ से जो मुसलमान गये, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गये ।? (व्यवधान) ऐसे कई केसेज हैं, जिनमें मैं लम्बे समय तक इसमें नहीं जाना चाहता हूँ ।? (व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप किसी के साथ उसका क्या करना चाहते हैं, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं । ? (व्यवधान) मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपनी विल, अपनी डीड दी है, अपनी मंशा को साफ किया है, अगर उसका मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को लाभ नहीं मिलता है, तो क्या सरकार को चुपचाप बैठना चाहिए? ? (व्यवधान) यह हमारा दायित्व है । ? (व्यवधान) यह इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला, चाहे वह कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन या कोई भी हो, यह इस सदन का दायित्व है कि उसे न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है, तो उसको पूरा करना चाहिए । ? (व्यवधान)

सर, आज हम जो यह अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसमें सारे प्रावधान रखे गए हैं । ? (व्यवधान) उसके एक मैटर पर मैं बोलना चाहता हूं । ? (व्यवधान) सर, लॉ-ऑफ-लिमिटेशन क्या कहता है? ? (व्यवधान) इसमें ऐसा प्रावधान था, जिसको हम आज के इस अमेंडमेंट के जरिए हटा रहे हैं । ? (व्यवधान) लॉ-ऑफ-लिमिटेशन में ऐसा था, पुराने कानून में था कि इतने साल तक आपने अगर कोई अपील नहीं की, बीच में कोई घटना हो गई या बहुत साल हो गए, तो लॉ-ऑफ-लिमिटेशन तो होना चाहिए? कोई सीमा तो होनी चाहिए? ? (व्यवधान) लेकिन इन्होंने यह किया कि मान लो, कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरे बाप-दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ी थी या किसी ने कुछ किया है । ? (व्यवधान) सिर्फ एक बात बताने पर उस पूरी जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था । ? (व्यवधान) सर, ऐसा नहीं कर सकते । ? (व्यवधान)

सर, लॉ-ऑफ-लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है । ? (व्यवधान) वक्फ एक्ट, 1995 ने लॉ-ऑफ-लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था । ? (व्यवधान) यह कैसे हो सकता है? ? (व्यवधान) एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि वह बाकी सारे कानूनों के ऊपर चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ? (व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता है । ? (व्यवधान) हमने इसे इतने सालों तक कैसे एक्सेप्ट किया? ? (व्यवधान) सर, जो गलती की है, उसे सुधारने का यह एक अच्छा समय है । ? (व्यवधान) ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है । ? (व्यवधान) पार्टियों ने भी गलती की होगी, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों ने गलती की होगी । ? (व्यवधान) आज सुधरने का समय है । ? (व्यवधान) अत: हम सुधार ला रहे हैं । ? (व्यवधान) गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्हें सुधारते समय आप कम से कम विरोध न करें । ? (व्यवधान)

सर, सेक्शन 108 है, special provision under the Administration of Evacuee Property Act, 1950, उसको हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारे देश के किसी भी कानून में, किसी भी स्टैच्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए । ? (व्यवधान) मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ पर जाना चाहता हूं, जिनको सुनकर हमारा पूरा सदन कनविंस होगा । ? (व्यवधान) सर, इनको थोड़ा चुप कराइए, बीच-बीच में इस तरह से कहना ठीक नहीं है । ये सीनियर मेंबर हैं । ? (व्यवधान)

सर, अब मैं बड़े विषय पर जाना चाहता हूं । ? (व्यवधान) हमने जो कन्सलटेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं । ? (व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों-लाखों से, या तो मंत्रालय की ओर से जाकर उनके साथ कन्सलटेशन किया, या वे रीप्रेजेंटेशन लेकर मंत्रालय में आए और उनकी बातों को हमने सुना है । ? (व्यवधान)

During the last one year, we have received about 194 online complaints related to encroachment and illegal transfer of land to the Waqf Board. We also got 93 complaints against the Waqf Board officials, and about 279 general complaints were received online on our portal.

सर, आज मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखी जा रही है । ? (व्यवधान) कल रात तक, कल देर रात तक मेरे पास मुसलमानों के डेलिगेशन्स आते रहे । ? (व्यवधान) मुझसे पहले भी कितने लोग मिले हैं और इसको आप यह सोचते हैं कि ? (व्यवधान) बोहरा कम्युनिटी की संख्या कम है, तो क्या उसको ये महत्व नहीं देंगे? ? (व्यवधान) अहमदिया की संख्या कम है, क्या इसलिए ये उनकी सोच, उनकी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करेंगे? आगाखानीज की संख्या कम है तो क्या उनकी बात को नहीं सुना जाना चाहिए? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे-छोटे लोगों को कुचल देगी तो फिर इस सदन में बैठकर हम न्याय कैसे दे सकते हैं?? (व्यवधान) इसलिए ये एकतरफा आवाज उठाकर, पूरे मुसलमान के नाम से ये लोग एकतरफा कुछ चंद लोगों की आवाज यहाँ आज इस सदन में बुलन्द कर रहे हैं ।? (व्यवधान) वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इनमें भी कई ऐसा नेता हैं, जिन्होंने मुझसे आकर कहा है कि देश में जितने स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, सब पर माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है ।? (व्यवधान) ऐसा बहुत से लोगों का कहना है ।? (व्यवधान) आज ये सदन में नहीं कह रहे हैं ।? (व्यवधान) सदन में अपनी-अपनी पार्टी के दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहे हैं, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर कहता है ।? (व्यवधान)

गृह मंत्री**;** तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**) :** किरेन जी, उनका नाम मत बताना ।? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, हम नाम नहीं बताएंगे ।? (व्यवधान) मैं आप लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करूँगा ।? (व्यवधान) कौन-कौन से एमपी ने मुझे आकर बताया कि पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ।? (व्यवधान) उनका नाम लेकर मैं एमपी साथियों का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद नहीं करूँगा ।? (व्यवधान)

सर, जहाँ तक कंसल्टेशन की बात आती है ।? (व्यवधान) बस-बस हो गया ।? (व्यवधान) हमने कई लेयर्स पर कंसल्टेशन किया है ।? (व्यवधान) ऑफिशियल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रतिनिधियों से और इनडिविजुअल लेवल पर बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है ।? (व्यवधान) मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस, हमारे से पहले जो इस मंत्रालय के मंत्री थे, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं की भी पहचान की और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत बड़े स्तर पर किया है ।? (व्यवधान) मैं कुछ कंसल्टेशंस के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) वर्ष 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है ।? (व्यवधान) ऐसा मत सोचिए कि हम वर्ष 2024 में यह वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल अचानक लेकर आए हैं । आप ऐसा मत सोचिए ।? (व्यवधान) यह मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज यह बिल आपके सामने मैं पेश कर

रहा हूँ । इसमें अलग-अलग समुदाय के, जितने मैंने नाम लिए हैं, अहमदियाज हैं, बोहराज, पसमांदाज, आगाखानीज, वुमेन रिप्रेजेन्टेटिव्स और जितने भी पिछड़े मुसलमानों के अंदर में आते हैं, सबसे लेकर 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओज और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रजेन्टेटिव्स सबसे बात की है । वर्ष 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया । फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में किया । फिर 12 अक्टूबर 2015 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में इसकी कंसल्टेशन कम बैठक हुई । उसके बाद 11 नवंबर, 2015 को दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी, 2017 में दिल्ली में, 8 मार्च, 2018 को दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई, 2023 में मुम्बई में, उसके बाद जुलाई 2023 में लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में कंसल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत बैठक हुई ।? (व्यवधान) अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है ।? (व्यवधान) लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ।? (व्यवधान) आप वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जनरल पब्लिक, आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई । हमने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर भी यदि आपका कोई इश्यू है, तो आप आ कर अपनी बात रख सकते हैं । आप मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ भी आप मिल सकते हैं । मुम्बई में जनरल पब्लिक के साथ-साथ ऑफिशियल्स के साथ बैठक हुई । इस बैठक में स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए । लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के टॉप लेवल पर चेयरमैन से भी बात हुई और आम लोगों से भी एक्सटेंसिवली बात हुई । वामसी पोर्टल पर जितनी इंफोर्मेशन शेयर करते हैं, इसके बारे में, वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी के बारे में, कैसे उसका यूटीलाइजेशन होना चाहिए, कैसे मेनटेनेंस होना चाहिए, इस बारे में रिक्मेंडेशन्स दी हैं इसलिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है । लखनऊ से भी रिक्मेंडेशन्स आई हैं । उसके बाद दिल्ली में सैंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपरसन की अध्यक्षता में बैठक हुई । विज्ञान भवन में बैठक हुई और उसमें काफी इश्यू थे, जो मैंने आपके सामने रखे । हर स्टेट से अधिकारी आए थे । मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन राज्य का नाम जरूर बताना चाहता हूं ।? (व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखें । आपने इतने सवाल किए हैं कि मुझे लगता है कि कम से कम मुझे तीन घंटे बोलना चाहिए । इतनी गलत धारणा आप लोगों ने यहां फैलाई है ।

अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार के सुन्नी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी दोनों ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया । आज जो डिटेल में हम अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, ये सारी चीजें हर राज्य के प्रतिनिधि के साथ डिस्कस की और उन्होंने ही ये कंसर्न्स रेज किए हैं तथा इन्हीं को अड्रेस करके आज आपके सामने लेखा-जोखा पेश कर रहा हूं । आप वक्फ बोर्ड को इतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुसलमान समाज के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं । वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल के खिलाफ है । मुसलमान लोगों में इसके खिलाफ कितना आक्रोश है, आपको इसका अंदाजा नहीं है । मैं कुछ इंडिविजुअल केसेज जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उनका दर्द आप भी महसूस करें । इन केसेज के बारे में इंसान होने के नाते आपको जरूर जानना चाहिए । सबसे पहले तो अहमदिया की ओर से कई रिप्रेजेंटेशन्स मेरे पास आए हैं । इनमें खास कर स्टेट वक्फ बोर्ड, कर्नाटक, केरल तेलंगाना और तमिलनाडु से रिप्रेजेंटेशन्स आए हैं । सैंट्रल वक्फ काउंसिल में भी केस दर्ज है और नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज में भी इस केस को दर्ज किया गया है और वह केस चल रहा है इसलिए मैं डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा । एक इंडिविजुअल केस बोहरा समाज का है । मुम्बई में एक ट्रस्ट है । वर्ष 1944 में हाई कोर्ट ने इससे संबंधित केस

को सेटल कर दिया था । उस ट्रस्ट का स्टेटस साफ है । आप सभी दाऊद इब्राहिम का नाम जानते हैं । वो उसके आस-पास रहते थे ।

बाद में, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया गया और एशिया के सबसे बड़े क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को उसी जगह लॉन्च किया गया । ऐसे समय में, जिस आदमी का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना-देना नहीं था, गुजरात में किसी एक व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ कम्प्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया । आप सोचिए कि जो आदमी, न उस राज्य में रहता है, न उस शहर में रहता है, इतिहास में कभी उसका उस प्रॉपर्टी से कुछ लेना-देना हुआ, वह कहीं और का रहने वाला है और उसने एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में कम्प्लेन करके, वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके उसे डिस्टर्ब किया । उस कम्युनिटी के लोग, जो हमसे मिलने आते हैं, उनके दिल के अन्दर कितना दर्द होता होगा, यह मुझे उनके साथ मिलने के समय समझ में आ गया था कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ ।? (व्यवधान)

सर, मीडिया में इस केस की काफी चर्चा हुई, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं । तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है । वहां 1500 साल पुराना श्री सुन्दरेश्वरर मन्दिर मौजूद था । वहां के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति अपनी 1.5 एकड़ जमीन बेचने के लिए गए । उन्हें तो यह पता भी नहीं था, उन्हें बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ की जमीन है । आप सोचिए, पूरे गांव को ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है ।? (व्यवधान) आप सोचिए । उस गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया।? (व्यवधान) इसमें धर्म मत देखिए ।? (व्यवधान) इस देश के नागरिक होने के नाते, हम लोग इस सदन के सांसद हैं, तो मेम्बर-ऑफ-पार्लियामेंट होने के नाते यह मत देखिए कि यह कौन-सा स्टेट है । चाहे तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, यह मत देखिए । इस तरह की घटना कैसे हो गयी, क्या यह सब सुनकर आपको चिंता नहीं होती? इस पर आपका चिंतित होना तो स्वाभाविक होना चाहिए ।? (व्यवधान)

सर, ये सुन नहीं पा रहे हैं और विषय को भटकाने के लिए यहां तरह-तरह की बातें की जा रही हैं ।? (व्यवधान)

सर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए । यह तो कोई प्राइवेट लैंड नहीं है । सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया । आप इसे सोचिए कि यह कैसे हो सकता है? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं?

सर, बाई-डेफिनिशन मैं एक बौद्ध हूं । मैं हिन्दू नहीं हूं, मुस्लिम भी नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों को मानता हूं ।? (व्यवधान) इसको आप लोग बार-बार धर्म से जोड़ कर मत देखिए । क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन को आप वक्फ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ।? (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Minister, are you yielding or not? ? (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू **:** आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए । इसका कोई फायदा नहीं है, अभी मैं यील्ड नहीं करूंगा ।? (व्यवधान) मैंने शांति से आप लोगों की बात सुनी है ।? (व्यवधान)

सर, कर्नाटक स्टेट द्वारा एक कमाल काम किया गया है । इसे आप ध्यान से सुनिए । कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के बारे में सुनिए । यह मेरे सामने आई है । कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन

की रिपोर्ट में यह कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ लैंड को कॉमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया । अगर आप इसका हिसाब-किताब करेंगे तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि वक्फ प्रॉपर्टी को आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं । इसको आप रिलीजियस, चैरिटेबल, और ?पायस? पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मनमानी कर रहे हैं । कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड इतनी मनमानी कर रहा था, इसलिए बाकी तो नहीं, पर कम से कम कर्नाटक के जितने एम.पी. हैं, उनमें तो बहुत कम एम.पी. ने इस पर बोला है, उनकी आंखों के सामने यह इतना बड़ा घपला हुआ ।

सर, मैं फिर से एक इंडिविजुअल केस साइट करना चाहता हूँ । यह डॉ. बरिए बुशरा फातिमा का केस है । अखिलेश जी, यह लखनऊ का केस है । शायद आप उस समय मुख्य मंत्री थे, क्या आपको किसी ने उस समय यह बताया नहीं था? ? (व्यवधान) वह बेचारी महिला अपने बच्चे के साथ किस मुश्किल हालात में जी रही है । वक्फ बोर्ड का अभी जो सिस्टम है, अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया तो जब इनके पिताजी गुज़र जाएंगे तब यह सारी प्रॉपर्टी उसको और उसके बच्चे को नहीं मिलेगी । तो क्या हमें ऐसे समय में इंटरवीन नहीं करना चाहिए? ? (व्यवधान) क्या उनको इंसाफ देने के लिए हमको कदम नहीं उठाना चाहिए? ? (व्यवधान) इसलिए आप इसमें धर्म को मत जोड़िए, इंसाफ की नज़र से देखिए । ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** इसको आप कमिटी में भेजिए, वहां पर सारी स्टडी हो जाएगी । ? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, कांग्रेस वालों की यही प्रॉब्लम है । पहले सवाल उठाया और जब मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, तब बोलते हैं कि कमिटी में इस पर चर्चा करेंगे । इल्ज़ाम लगा कर के भागने की कोशिश मत करो । ? (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI : The Parliament Committee will have all the Members and it is also a mini Parliament. We will deliberate on it.

श्री किरेन रिजिजू **:** मैं पार्लियामेंट्री कमिटी समझता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब के बाद आपकी अनुमति से हाऊस की सेंस ले कर हम आगे बढ़ेंगे । मगर इनके जितने मेंबर्स ने आपकी परमिशन के बाद असत्य बातें बोलीं प्लस भ्रम फैलाया । ? (व्यवधान) असत्य बात कही । ? (व्यवधान) ठीक है, असत्य बोलता हूँ । ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** अध्यक्ष जी, उनका ऑब्जेक्शन वाज़िब है ।? (व्यवधान) वह शब्द यहां प्रयोग नहीं हो सकता है । ? (व्यवधान) सत्य नहीं है, ऐसी बातें जो कहे, इससे रिप्लेस कर लेना चाहिए । ? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, अभी गृह मंत्री जी ने भी क्लैरिफाई किया है कि आपने असत्य बात कही है, आप भी मान लीजिए । ? (व्यवधान) इसमें जो प्रोविज़न्स, कंटेंट का जो प्रमुख बिंदु है, उसको आपको बता कर अपनी बात को समाप्त करूंगा । सर, इस बिल में हमने टाइटल को चेंज किया है । बिल पेश करते हैं तब उसका फ्यूचरिस्टिक विज़न और इंटेंशन सामने आना चाहिए । अब यह बिल आज जो पेश किया जा रहा है उसका नाम होगा ? the United Waqf Act Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995. शॉर्ट में इसको ?उम्मीद? कहेंगे । इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बिल के प्रावधानों को समझते हुए, इसका पुरज़ोर समर्थन करेंगे ।

सर, हम डेफिनेशन में जो चेंज कर रहे हैं ? जो भी, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए । वर्ष 2013 में जो चेंज किया गया, वह बहुत डेंजरस बात

थी । वर्ष 2013 में क्या किया गया कि कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है । हमने कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं । जो मुसलमान हैं, वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, नॉन-मुस्लिम नहीं कर सकते हैं । इस पर फ्यूचर में जवाब देते समय हम डीटेल में बोलेंगे कि इसका डेंजरस कोनोटेशन क्या हो सकता है । आप किसी को भी वक्फ टाइटल डिक्लेयर करनी की इजाज़त देंगे तो फिर यह कैसे हो सकता है? इसलिए हम पुराने सिस्टम में, पुराने डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं ।

सर, इन्होंने कलेक्टर्स के बारे में काफी आपत्तियाँ दर्ज करायी हैं । कलेक्टर जो डिप्टी कमीश्नर होते हैं, क्या उनको कोई पार्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी अप्वाइंट करती है? रेवेन्यू उन्हीं के पास होता है । रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहता है । ये लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए । आप बताइए कि कलेक्टर का क्या काम है? रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए ही कलेक्टर बनाया जाता है । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं । ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं ।? (व्यवधान)

सर, मैंने सर्वे कमीश्नर के कामकाज को लेकर इतने रिकमेंडेशंस बताया । यह ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया है । आपने जितनी कमेटियाँ बनाई हैं । आपने पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाया । पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आये हैं । अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशंस आए हैं । ये सब आपके समय के हैं । उसी समय ही सच्चर कमेटी बनी थी । उसी ने कहा है कि प्रॉब्लम सर्वे कमीश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़कर सारे प्रॉपर्टीज का वैलिडेशन होना चाहिए । इसमें जिला कलेक्टर को भी लाना चाहिए । यह आप ही का रिपोर्ट है । हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं । इसलिए, इतना उतेजित होकर आप लोगों को यहां अपोज करने की कोई जरुरत नहीं है ।

सर, इस बिल में हमने एक दूसरा प्रावधान रखा है । जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, हम ट्रिब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं । पहले ट्रिब्यूनल में तीन मेम्बर्स होते थे । अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेम्बर होगा ।? (व्यवधान) आपको अभी समझ में नहीं आया । उसमें हमने कहा है कि जो टेक्निकल मेम्बर है,? (व्यवधान)

सर, इनको मालूम नहीं है । इस देश में जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, कमीशंस बनते हैं, उनमें जज ही बनाए जाते हैं । ट्रिब्यूनल में जितने टेक्निकल मेम्बर्स होते हैं, उनमें अधिकारी को ही बनाया जाता है, लेकिन जो जुडिशियल मेम्बर होते हैं, वे रिटायर्ड जज ही होते हैं । इतना तो माननीय सदस्य को समझना चाहिए । वह पाँच बार एमपी बन चुके हैं ।? (व्यवधान)

सर, हम लोग लोक सभा में साथ-साथ आए थे, इतना तो जानना चाहिए । हम लोग एक ही समय में चुन कर आए थे, लेकिन अभी इनको मालूम नहीं है ।? (व्यवधान)

सर, आज वक्फ बोर्ड का टोटल 12,792 केसेस पेंडिंग हैं । 19,207 केसेस ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग है । क्या हम लोग इसको डिसपोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यह ऐसे नहीं बना रहे? आप इसके बारे में सोचिए ।

सर, हमारे लिए टाइमलाइन बहुत जरूरी है । न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए । इसलिए, मैंने इस नए बिल में प्रावधान किया है । इसे मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है । जो भी फाइलिंग होती है, उसकी अपील 90 डेज के अंदर होनी चाहिए और डिस्पोजल ऑफ दी केसेस छह महीने के अंदर होना चाहिए । इस बिल के पास होने के बाद, जो हजारों केसेस पेंडिंग हैं, उनका पूरी तरह से निवारण हो जाएगा, उनका सेटलमेंट हो जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष**:** इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी न्याय मिलेगा तो ठीक रहेगा ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** सर, अगर ये सुनना नहीं चाहते हैं तो इन्होंने इतने सवाल क्यों पूछे?? (व्यवधान) इन्होंने इतना सवाल पूछा है तो कम से कम इनको सुनना भी चाहिए । आप सवाल पूछ कर भाग जाना चाहते हो, हम ऐसा नहीं करने देंगे । आपके भागने के बाद भी हम बोलते रहेंगे । हम अपनी पूरी बात इस सदन में रखेंगे ।

सर, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है । वक्फ बोर्ड में टेक्नोलॉजिक इंडक्शन अनिवार्य है । इसीलिए, हमने इसका प्रावधान रखा है । वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिसिएन्ट्ली और ट्रांसपैरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा ।

15.00 hrs

यह हर समय निगरानी में रहेगा । हमारा मंत्रालय ओवरसाइट कंटीन्युअस मॉनीटर करता रहेगा । वक्फ प्रॉपर्टी के लिए यह सारा प्रावधान किया गया है । सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है । उसमें सारे एकाउंट्स का फार्मेट होगा । जो मुतवल्लीज़ हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं, उनको एकाउंटेबल बनाया गया है कि कोई गलत काम करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी । इस पोर्टल को गति-शक्ति इको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं । मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जो नया सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है । इसमें मुस्लिम महिला रहेगी और जितने अलग डिनोमिनेशन्स हैं, Bohras, Aga Khanis and Other Backward Classes amongst Muslims, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया है ।? (व्यवधान) हम सब लोग यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं । हमारी कांस्टीच्युएंसी में हर धर्म के लोग हैं । अभी दादा बोल रहे थे कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में मुसलमान हैं क्या? मेरी कांस्टीच्युएंसी में बहुत मुसलमान वोटर्स हैं । ? (व्यवधान) इनको बताइए ।? (व्यवधान) इसीलिए मैंने कहा न दादा, आप हर समय मत बोलिए, आपको नींद आ जाएगी । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** कोई स्पीच हो तो क्या आप सदन में सो जाएंगे?

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** ? *? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** चेक कर लेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** ? (व्यवधान) He should apologise for that.

श्री किरेन रिजिजू **:** ब्रॉडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है ।? (व्यवधान) सर, इसको निकाल दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं इसको देख लूंगा और कार्यवाही से हटा दूंगा ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** आप किताब पढ़ रहे थे, तो मैं क्या कर सकता हूं?? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने उसको कार्यवाही से हटा दिया है ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू **:** मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में कहना चाहता हूं । हम सबकी कांस्टीच्युएंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, पारसी और सिख, सभी हो सकते हैं । इसलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है ।? (व्यवधान) हमने यह नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेकर आना चाहिए । हम यह नहीं कह रहे हैं । हम कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां मेंबर होना चाहिए । मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कांस्टीच्युएंसी से किसी एमपी को चुनकर भेज दिया, by virtue of being a Member of Parliament, अगर वह बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या उसके धर्म को चेंज कर देना चाहिए । यह बेसिक बात है । ये बिना मतलब का इश्यू उठा रहे हैं ।? (व्यवधान) अब मैं एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहता हूं । ? (व्यवधान) वक्फ बोर्ड को अच्छे से चलाने के लिए टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकार लोग चाहिए । आप ऐसे ही उठाकर किसी को वक्फ बोर्ड में मैम्बर नहीं बना सकते । इसके लिए जो रिकमेंडेशन्स मिली है, हर कमेटी और जेपीसी से रिकमेंडेशन्स मिली हैं, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं । डाइवर्सिफाई टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में जिसकी अच्छी नॉलेज है, ऐसे लोगों को बोर्ड में लाना चाहिए । वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए में अच्छे अफसरों नियुक्त करना चाहिए । हमने ये सब बातें रखी हैं, ये सब आपकी रिकमेंडेशन्स हैं । हम बार-बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये आपकी रिकमेंडेशन्स हैं और हम इम्पलीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ।

सर, हमने बच्चों और महिलाओं का काफी ध्यान रखा है । एक्ट पास होने के बाद कोई मुसलमान बच्चा या महिला इंसाफ मिलने से वंचित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए । हमने इसके लिए ठोस प्रावधान किए हैं । वक्फ प्रापर्टी की प्रोसीड्स और इनकम सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए खर्च होगी । हम मुसलमान समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, खासकर गरीब मुसलमान महिलाएं, जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए यह कर रहे हैं । आप लोगों के हाथ में छोड़ेंगे? आपने इतने सालों से कभी भी इनकी कोई मदद नहीं दी । ? (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्लोगन दिया है जो इस सरकार का मंत्र भी है ? सबका साथ, सबका विकास । ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझे इस बिल पर नहीं बोलना चाहिए । यह तो बहुत आपत्तिजनक बात है । ? (व्यवधान) क्या इस देश का मंत्री बनने के लिए, किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए किसी एक पर्टिकुलर धर्म या जाति का होना चाहिए? ये बार-बार कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए । ? (व्यवधान) इन्होंने बहुत गलत बात कही है, मैं इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

सर, इस बिल को सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और साथ ही मेरे मन में एक भावना भी है । ? (व्यवधान) मैं खुद माइनोरिटी हूं, नॉन-मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बिल को सदन में रखने का मौका मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला है । हर आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता है, इसके लिए मैं अपने आपको बहुत भाग्यवान मानता हूं । हम लोग हर रोज काम करते हैं, इस सदन में बैठकर रात 12 बजे तक डिबेट

करते हैं, डिसकशन करते हैं, लेकिन कभी-कभी ही ऐसा मौका मिलता है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा । किसी सरकार और किसी मंत्री को ही ऐसी बात सदन में रखने का मौका मिलता है ।

सर, मेरे पास और भी बहुत प्वाइंट्स हैं, लेकिन कांग्रेस के साथियों ने और कई सदस्यों ने रिक्वेस्ट की है, मैं मानता हूं कि प्रमुख रूप से जो मुद्दे और ऑब्जेक्शन्स रेज़ किए गए हैं, मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है । बिल में जितने भी प्रावधानों और सैक्शन्स में डिलीशन, एडीशन या अमेंडमेंट किए गए हैं, मैं सारे प्रावधानों को उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने रखूंगा ।

यह मेरा आखिरी भाषण नहीं है । आप लोगों ने इतनी आपत्तियां दर्ज की हैं, लेकिन मैंने 50 परसेंट का ही रिप्लाई दिया है, अभी 50 प्रतिशत और जवाब देना बाकी है । आदरणीय अध्यक्ष जी की परमिशन से आपको इतने सवाल उठाने का मौका मिला है ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** माननीय मंत्री जी, सदस्यों की यह भावना है कि आप इस पर और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं । क्या इस विषय पर आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री किरेन रिजिजू **:** अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत ही ओपन-माइंडेड, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ? (व्यवधान) इनका बर्ताव देखकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुराने समय में मैं नया एमपी बनकर आया था और पीछे बैठता था । जब यूपीए की नई सरकार बनी, तो हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट की । सदन में मैं सीनियर लीडर्स के नाम नहीं लेना चाहता । उन्होंने सदन में उठकर कहा कि आप लोगों का काम अपोज़ करना है, लेकिन सरकार सुने न सुने, यह सरकार की मर्जी है । उस समय वे कहते थे । आज हम इतने खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट की, सारे सदन के सदस्यों ने कहा कि इस बिल पर और भी चर्चा होनी चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए । क्यों नहीं? हम इससे भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमारी मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है । आखिर किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाकर स्क्रूटनी की जाए, उसका हम स्वागत करते हैं । जब हम छिपकर कोई गलत काम करते हैं, तब भागते हैं । हम भागने वाले नहीं हैं, इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, तो अपनी सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टीज अपनी संख्या के हिसाब से वहां पर विस्तार से चर्चा करें और स्टेकहोल्डर्स को बुलाकर जो भी सुनना है, इस कमेटी के माध्यम से अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए । भविष्य में हम खुले मन से आपके सजेशन्स को जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है, हम जरूर करेंगे । इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

?कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** अब माननीय मंत्री जी विधेयक को पुर: स्थापित करें ।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I introduce the Bill.

———